

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी

पत्र सं०: ए-2213/एफ0एस0-22

दिनांक : 13/05/2022

सेवा में,

डॉ० विजय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर  
मन्दहौ कला, कैथी, वाराणसी।

विषय- मन्दहौ कला, कैथी, जिला वाराणसी डॉ० विजय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर मन्दहौ कला,  
कैथी, वाराणसी के निर्मित भवन के अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण के सम्बन्ध में।

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 05/05/2022 के माध्यम से अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मांग की है।

उक्त विषयक भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुरूप अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से निरीक्षण/परीक्षण कराया गया, निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

- 1- पूरे भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर व होजरील का प्राविधान एन0बी0सी0 2005 के अनुरूप कराया जाय।
- 2- 2500 ली० क्षमता-का टेरेस टैंक बनाकर 500 ली०/मि० क्षमता के टेरेस पम्प में जोड़ने हुए ए०आर०बी० और एन०आर०बी० की सहायता से उसको होजरील से जोड़ा जाय।
- 3- सेरबैंक का किसी भी दशा में अतिक्रमण नहीं करेंगे, पार्किंग इत प्रकाश करेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर कारों को हटाकर खाली स्थान का प्रयोग अग्निशमन कार्यों में किया जा सके।

अतः उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जो तीन वर्ष तक वैध होगा।  
उल्लेखनीय है कि निर्माण हो जाने के उपरान्त सुरक्षा व्यवस्था एवं अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था एन0बी0सी0 मानक के अनुसार पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही पुनः निरीक्षण कर अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा। अन्यथा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
वाराणसी 13/05/2022  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
वाराणसी